



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2012 पुनरीक्षण - R-2766-III/12

शुक्रेश भास्व, भास्व
दोस आदि 28-8-12 को

प्रस्तुत

28-8-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.30 PM.

रामसनेही पुत्र श्री बिहारीलाल लोधी
निवासी- ग्राम जिगनी मजरा बल्दूपुरवा
तहसील अजयगढ़ जिला- पन्ना (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

1 श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री सीताराम लोधी
निवासी- ग्राम जिगनी मजरा बल्दूपुरवा
तहसील अजयगढ़ जिला- पन्ना (म.प्र.)

2 म.प्र. शासन

.....अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार वीरा, तहसील अजयगढ़ द्वारा प्रकरण क्र. 2/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत के पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य हैं।
2. यह कि, आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की आराजीख दृ नं 844/2 ख रकवा 0.02 हैं. ग्राम जिगनी मजरा बल्दुपुरवा तहसील अजयगढ़ में स्थित हैं। इसी प्रकार उक्त भूमि से लगी हुई भूमि ख. नं 844/2 क के भूमिस्वामी अनावेदक श्री मती पुष्पादेवी हैं। अनावेदक पुष्पादेवी ने आराजी ख. नं 844/2 क रकवा 0.03 हैं. का सीमांकन कराने हेतु म.प्र. शासन को पक्षकार बनाकर तहसील न्यायालय में आवेदन दिया उक्त आवेदन पर प्रकरण दर्जकर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 2-6-2012 को


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2766-दो/2012

जिला पन्ना

रामसनेही विरूद्ध पुष्पादेवी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार तहसील अजयगढ़ के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।	<p> (आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>01/02/2019</p>